

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: एफ 7(40)लेखा/निर्माण/देव/2018/

दिनांक :

सहायक आयुक्त,

देवस्थान विभाग,

जयपुर (प्रथम)/जयपुर (द्वितीय)/जोधपुर/भरतपुर/कोटा/


बीकानेर/उदयपुर/अजमेर/हनुमानगढ़/ऋषभदेव/वृन्दावन।

विषय:—देवस्थान विभाग के मंदिर/धर्मशाला निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति।

प्रसंग:—संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांक पं.4(44)देव /2017 जयपुर दिनांक 06.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शासन ने देवस्थान विभाग के मंदिर/धर्मशाला निर्माण, जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास संबंधी नीति का प्रपत्र जारी कर जनसुविधा हेतु नीति के प्रचार-प्रसार हेतु प्रति प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको भी प्रेषित की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करावें तथा इसके समुचित प्रचार-प्रसार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे तथा प्रगति से नियमित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करावें।



(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
आई.ए.एस
आयुक्त,
देवस्थान विभाग,

राजस्थान-उदयपुर
दिनांक : 9.2.18

क्रमांक: एफ 7(40)लेखा/निर्माण/देव/2018/ 2023

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर.....को सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि नीति प्रस्ताव आपकी मेल पर अपलोड कर दिया गया है।
3. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सूचना सहायक, मुख्यावास उदयपुर को वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।


(संजय सिंह)
वित्तीय सलाहकार
देवस्थान विभाग
राजस्थान, उदयपुर